

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
{अनुसंधान विश्लेषक विनियम, 2014}

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(RESEARCH ANALYSTS REGULATIONS, 2014)

000 1006

(विनियम 9 देखें)
(See Regulation 9)

अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS RESEARCH ANALYST

- I) बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
- I) In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with the regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

Gaurav Shriram Kulkarni
Flat no 506, A wing, Kesar valley,
Patil Nagar, Chikhali,
Pune – 411062
Maharashtra
India

को अधिनियम में और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्द्वारा प्रदान करता है।

as Research Analyst, subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.

INH000009311

- II) रजिस्ट्रीकरण संख्या
II) The Registration Number is

है।

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।
The certificate of Registration shall be valid till it is suspended or cancelled by the Board.



आदेश द्वारा
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और उसकी ओर से
By order

For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

Abhishek Pandya

स्थान Place : **Mumbai**
तारीख Date : **March 31, 2022**

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory



भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

निवेश प्रबंधन विभाग - 2
सामूहिक निवेश स्कीम प्रभाग
INVESTMENT MANAGEMENT DEPARTMENT-2
DIVISION OF COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

SEBI/IMD/CIS/ON/P/2022/ 17213 / 1
March 31, 2022

Gaurav Shriram Kulkarni
Flat no 506, A wing, Kesar valley
Patil Nagar
Chikhali
Pune
411062

महोदय/महोदया,
Sir / Madam,

विषय/ Sub : निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने हेतु / Application for
Registration of Gaurav Shriram Kulkarni का आवेदन / as a Research Analyst

1. कृपया आप 'अनुसंधान विश्लेषक' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए अपने आवेदन का और उसके बाद आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी / दस्तावेजों का संदर्भ लें।
Please refer to your application for grant of certificate of registration as a 'Research Analyst' and subsequent information/documents submitted by you.
2. हमें अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आपकी ओर से फीस प्राप्त हो गई है और हम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 ("विनियमों") के विनियम 9 के अनुसार, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में क्रियाकलाप करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं।
We acknowledge the receipt of your fees for registration as Research Analyst and we are pleased to grant the certificate of registration in terms of Regulation 9 of SEBI (Research Analyst) Regulations, 2014, ("The Regulations") to carry out the activities as a Research Analyst.
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों के साथ भविष्य में पत्र-व्यवहार करते समय आप कृपया उस रजिस्ट्रीकरण संख्या का अवश्य उल्लेख करें, जो प्रमाणपत्र में दी हुई है।
In respect of all future correspondence with SEBI, Government and other authorities, you should quote the registration number as present in the certificate.



अनुवर्ती :
Continuation :

**भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] विनियम, 2016 के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, बशर्ते कि निर्धारित फीस अदा की जाती रहे।
In terms of SEBI (Change in conditions of Registration of Certain Intermediaries) Regulations, 2016, the certificate of registration is valid unless it is suspended or cancelled by the Board, subject to payment of fees as prescribed.
5. आपके द्वारा अदा की गई फीस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और रजिस्ट्रीकरण को मान्य रखने के लिए आपको भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली फीस, प्रत्येक पाँच वर्षों हेतु, उस ब्लॉक की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले अदा करनी होगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो।
The registration fee paid by you is valid for a period of five years from the date of certificate and to keep the registration in force, you shall pay fee as prescribed by SEBI from time to time, every five years, at least three months prior before expiry of the block period for which fee has been paid.
6. उपरोक्त फीस 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में अथवा उस स्थान पर देय हो जहाँ संबंधित प्रादेशिक कार्यालय या स्थानीय कार्यालय स्थित हो] के माध्यम से या बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से अदा की जाएगी।
The said fee shall be paid by way of demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or at respective regional or local office or by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI.
7. यह प्रमाणपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त विनियमों के विनियम 13 में दी गई निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जा रहा है :
The certificate has been granted subject to the following conditions, inter alia, as specified in Regulation 13 of the above Regulations:
- क. अनुसंधान विश्लेषक अधिनियम और उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
a. The Research Analyst shall abide by the provisions of the Act and these regulations.
- ख. यदि बोर्ड को पहले से प्रस्तुत की गई कोई जानकारी या विवरण किसी भी प्रकार से मिथ्या या भ्रामक पाए जाते हैं या यदि पहले ही से प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है, तो अनुसंधान विश्लेषक तुरंत बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेगा।
b. The Research Analyst shall forthwith inform the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted.
- ग. इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकृत अनुसंधान विश्लेषक अपने ग्राहकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहार में 'अनुसंधान विश्लेषक' शब्दों का प्रयोग करेंगे।
c. Research Analysts registered under these regulations shall use the term 'research analyst' in all their correspondences with their clients.



अनुवर्ती :
Continuation :

**भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड**
**Securities and Exchange
Board of India**

8. आपका ध्यान विशेष रूप से अध्याय-III की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इनके संबंध में उल्लेख किया गया है – आंतरिक नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तैयार करना, अनुसंधान विश्लेषकों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) पर सीमाएँ, अनुसंधान विश्लेषकों का प्रतिकर (कम्पेनसेशन), अनुसंधान (रिसर्च) रिपोर्टों के प्रकाशन, लोगों के सामने आने और कारबार के संचालन आदि संबंधी सीमाएँ आदि, जो आपके द्वारा दी जाने वाली समस्त अनुसंधान सेवाओं पर लागू होगा।

Your attention is particularly invited to Chapter III for establishing internal policies and procedures, limitation on trading by RAs, compensation of RAs, Limitations on publication of research report, public appearance and conduct of business etc, which shall apply to all research services provided by you.

9. अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में अपने क्रियाकलापों और अन्य क्रियाकलापों के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाए रखेगा।

Research Analyst shall maintain an arms – length relationship between its Research Analyst activities and other activities.

10. आप लेखा-बहियाँ, रिकॉर्ड और ऐसे अन्य दस्तावेज रखेंगे, जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनियमों के तहत अपेक्षा की जाए।

You shall keep and maintain the books of accounts, records and such other documents as may be required by the Board under the Regulations from time to time.

11. आप अपने क्रियाकलापों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) / निदेशों / अनुदेशों / परिपत्रों (सर्कुलर्स) आदि का पालन सुनिश्चित करेंगे।

You shall ensure compliance with the Guidelines / Directives / Instructions/ Circulars etc. as may be issued from time to time by SEBI or the Government of India relating to the activities carried on by you.

12. आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत अनुसंधान विश्लेषक के रूप में अपनी हैसियत (अपने स्टेटस) का इस्तेमाल असंबद्ध क्रियाकलाप करने के लिए या ऐसे किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं करेंगे, जिनकी विनियमों के तहत मंजूरी न हो।

You shall not make use of your status as SEBI registered Research Analyst in furtherance of unrelated activities or any other purpose which is not permitted in the Regulations.

13. अनुसंधान विश्लेषक के रूप में आपके क्रियाकलाप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के अनुसार विनियमित होंगे।

Your action shall be governed by SEBI Act and SEBI (Research Analyst) Regulations, 2014 in respect of the activities carried on by you as a Research Analyst.

14. आप कृपया यह नोट करें कि जिस जानकारी के आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो उस जानकारी में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को तुरंत दी जाए।

It may please be noted that any material change in the information on the basis of which registration is granted must be communicated to SEBI immediately.



अनुवर्ती :
Continuation :

**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अब तक जारी किए गए सभी दिशानिर्देश / परिपत्र (अनुसंधान विश्लेषकों के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों / परिपत्रों सहित) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर दिए हुए हैं।
All Guidelines / Circulars (including those issued to research analysts) by SEBI till date are available on SEBI Website : www.sebi.gov.in
16. यह रजिस्ट्रीकरण इस समय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यदि आगे चलकर आपके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है या आपको दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।
The registration is granted on the basis of information available with SEBI at this point of time and does not preclude SEBI from cancelling the registration later if anything adverse is found against you or if you are convicted.
17. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। आप भविष्य में अपने समस्त पत्र आदि इस पते पर भेजें : निवेश प्रबंधन विभाग, निधि प्रभाग (डीओएफ) - 1, सेबी भवन, प्लॉट सं. सी4-ए, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051।
The certificate of registration is enclosed herewith. You are advised to address all your future correspondence at the following address: Investment Management Department, DOF - 1, SEBI Bhavan, Plot No: C4-'A', "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(East), Mumbai - 400 051.
18. कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को इस ईमेल पर ईमेल भेजकर यह सूचित कर दें कि आपको प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है: abhishekp@sebi.gov.in
Kindly acknowledge the receipt of the certificate through email to SEBI at abhishekp@sebi.gov.in.

भवदीय / Yours faithfully,

अभिषेक पंड्या
सहायक महा प्रबन्धक

Abhishek Pandya
AGM

संलग्नक / Encl : अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
Certificate of Registration as Research Analyst.